

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

01 जुलाई 2019

## 2019 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 04 - संघ सरकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर राजस्व आज संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसमें मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर राजस्व, 2019 की प्रतिवेदन संख्या 4 पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं, आज संसद में प्रस्तुत किया गया है।

लेखापरीक्षा स्थापित तंत्र की प्रभावकारिता, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारिती स्व-निर्धारण के इस काल में मौजूदा नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं, की जाँच हेतु केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग के संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा इत्यादि से संबंधित कार्यों का परीक्षण किया और निर्धारिती के अभिलेखों, जो कर गणना का आधार बनाते हैं की जाँच की।

इस प्रतिवेदन में 263 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं जिनमें ₹ 465.55 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर पर 369 लेखापरीक्षा आपत्तियां हैं। मंत्रालय/विभाग ने नवम्बर 2018 तक ₹ 345.22 करोड़ के राजस्व से जुड़े 230 पैराग्राफ स्वीकार किए थे तथा 122 मामलों में ₹ 68.15 करोड़ की वसूली सूचित की थी। कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियां तथा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

लेखापरीक्षा द्वारा सीबीआईसी में अपील मामलों हेतु निगरानी तंत्र की जांच की गई तथा इस में कमियां देखी गई। प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार हैं:

केंद्रीय उत्पाद शुल्क में, ₹ 1,04,718 करोड़ के राजस्व सहित 45,749 मामले विव18 के अंत तक अपील के लिए लंबित थे, जो विव17 के अंत तक लम्बित राशि पर 3.5 प्रतिशत की मामूली कमी को दर्शाते थे। सेवा कर में, ₹ 1,20,907 करोड़ के सेवा कर

राजस्व सहित 43,718 मामले विव18 के अंत तक अपील के लिए लंबित थे जो विव17 के अंत तक लंबित राशि पर एक प्रतिशत की कमी दर्शाते थे। (पैराग्राफ 3.5.1)

अपील के लिए लम्बित मामलों के संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं के निष्पादन की निगरानी के लिए तंत्र कमजोर थे क्योंकि बोर्ड स्तर पर जोन/कमिश्नरी स्तर पर आंकड़ें अनुरक्षित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, बोर्ड और क्षेत्रीय संरचना स्तर पर अनुरक्षित आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित नहीं थी क्योंकि विधि मामले के निदेशालय के पास अनुरक्षित आंकड़ों और मासिक निष्पादन प्रतिवेदनों (एमपीआर) में प्रतिवेदित आंकड़ों में विसंगतियां देखी गई थी।

(पैराग्राफ 3.5.3.1 से 3.5.3.4 और 3.5.4.1)

28 कमिश्नरियों में, निपटान किये गये कुल 4,286 अपील मामलों में से हमारे द्वारा 1,833 मामलों की जांच की गई और देखा गया कि 13 कमिश्नरियों से संबंधित ₹ 126.33 करोड़के निहित राजस्व के 60 मामलों (3 प्रतिशत) में विभाग की ओर से चूकों के कारण अपील मामले निरस्त हो गए थे।

(पैराग्राफ 3.5.5)

उच्च राजस्व मामलों के शीघ्र निपटान हेतु बोर्ड के अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था क्योंकि प्रत्येक ₹ 10 करोड़ और इससे अधिक राजस्व वाले 3,047 अपील मामलों में से शीघ्र सुनवाई आवेदन फाइल करने और संवादात्मक आवेदन फाइल करके स्टे हटाने आदि के लिए सक्रिय कार्यवाही केवल 260 मामलों (8.53 प्रतिशत) में की गई थी। इसके अलावा, क्षेत्रीय संरचनाओं में नमूना जांच किये गए 41 मामलों (5 प्रतिशत) में जिसमें ₹ 1,110 करोड़ का राजस्व शामिल है, में शीघ्र सुनवाई आवेदन फाइल नहीं किया गया था जबकि ₹ 211.85 करोड़ के राजस्व सहित 145 मामलों (नमूना जांच किए गए मामलों का 48 प्रतिशत) में समान मामलों का समूहन नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 3.5.3.5, 3.5.6.2 और 3.5.6.3)

लेखापरीक्षा सीबीआईसी में बकायों की वसूली हेतु निगरानी तंत्र की जांच की और इसमें कमियों को पाया। मुख्य आपत्तियां निम्न प्रकार हैं:

सेवा कर के संबंध में कुल बकाया विव17 में ₹ 1,17,904 करोड़ से बढ़कर विव18 में ₹ 1,66,553 करोड़ हो गया। इसी प्रकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में कुल बकायों

विव17 में ₹ 84,200 करोड़ से बढ़कर विव18 में ₹ 96,496 करोड़ के हो गया। इसके अलावा, सेवा कर हेतु सकल बकायों के प्रतिशत के रूप में वसूली विव17 में 1.19 प्रतिशत से घटकर विव18 में 1.02 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु सकल बकायों के प्रतिशत के रूप में वसूली में विव17 में 1.85 प्रतिशत से घटकर विव18 में 1.27 प्रतिशत रह गई।

31 मार्च 2018 तक सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क हेतु सकल बकायों का अंत शेष क्रमशः ₹ 1,66,553 करोड़ और ₹ 96,496 करोड़ था। हालांकि, मार्च 2018 को कर बकाया वसूली रिपोर्टों के अनुसार सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क हेतु बकायों का अंत शेष क्रमशः ₹ 1,27,809 करोड़ और ₹ 85,158 करोड़ था। अंतर का एक कारण यह था कि जून 2017 को कर बकाया वसूली रिपोर्टों का अंत शेष जुलाई 2017 के आदि शेष में सही ढंग से नहीं लिया गया था।

(पैराग्राफ 4.5.1.1)

मुकदमाधीन राशि के आंकड़ों में विसंगतियां थीं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में जैसाकि विधि मामलों के निदेशालय और वित्तीय वर्ष 2018 की कर बकाया रिपोर्टों द्वारा सूचित किया गया। कर बकाया वसूली रिपोर्टों के अनुसार मुकदमें में कुल लम्बित बकाया 32,100 मामलों में ₹ 66,604 करोड़ था जबकि विधि मामले निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार 35,199 मामलों में आकड़े ₹ 74,406 करोड़ थे। इसी प्रकार, सेवा कर के संबंध में कर बकाया वसूली रिपोर्ट के अनुसार मुकदमें में कुल लम्बित बकाया 36,367 मामलों में ₹ 1,11,851 करोड़ था जबकि विधि मामलों के निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ा 35,163 मामलों में ₹ 94,825 करोड़ था।

(पैराग्राफ 4.5.1.2)

16 जोनों ने अपने वसूली लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया और छः जोनों ने 50 प्रतिशत से कम वसूली लक्ष्य प्राप्त किया।

(पैराग्राफ 4.5.1.3)

रेंज कार्यालयों को मूल-आदेश भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। हमने देखा कि 9 कमिश्नरियों में 148 मामलों में रेंज कार्यालयों को मूल आदेश भेजने में एक दिन से 20 माह तक का विलम्ब हुआ था।

(पैराग्राफ 4.5.2)

16 कमिश्नरियों के तहत 115 मामलों में (नमूना जांच का 47 प्रतिशत), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 के तहत वसूली हेतु कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,202.33 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 4.5.3)

आधिकारिक परिसमापक के साथ मामले का अपर्याप्त/अनुवर्ती कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप ₹ 15.61 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 4.5.4)

लेखापरीक्षा ₹ 206.54 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 104 मामलों में विभागीय अधिकारियों द्वारा कर आधार के विस्तारण, विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रतिदाय दावों आदि की मंजूरी में महत्वपूर्ण कमियां देखी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ₹ 52.00 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के 63 मामलों में निर्धारित द्वारा सेवा कर के भुगतान न करने/कम भुगतान करने, सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाने/उपयोग करने और ब्याज का भुगतान न करने के मामले देखें।

उपरोक्त के अलावा हमने तीसरी पार्टी द्वारा डाटा सत्यापन, विवरणियों की संवीक्षा, अपवंचन रोधी आदि के क्षेत्र में विव18 में सीएजी लेखापरीक्षा के दौरान 109 मामलों में विभाग की कार्य-प्रणाली में कमियां भी देखी थी।

(पैराग्राफ 5.2)

हमने विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, कारण बताओं नोटिस और अधिनिर्णयन, कॉल-बुक का रखरखाव आदि पर विभागीय अधिकारियों की गंभीर चूक के 67 मामले देखे जिनमें ₹ 45.65 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ था। लेखापरीक्षा केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ब्याज के कम भुगतान/भुगतान न करने और सेनवेट क्रेडिट आदि की अनियमित लाभ उठाने/उपयोग करने आदि के मुद्दों पर निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के 26 मामले भी देखे जिसमें ₹ 129.65 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ था।

(पैराग्राफ 6.2)